

FP/UP/Road/151161/2022

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार :
करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और निवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

cf, १५६१२८५२ की संस्तुति
के आधार पर स्वीकृतार्थ
संस्तुति की जाती है।

दिनांक : 18/11/23

स्थान

हस्ताक्षर :

नाम :

मोहर :

Anupam Gupta
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act. 1980
U.P., Lucknow

28